न्यायालय, जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

पीठासीन अधिकारी यज्ञ मित्र सिंहदेव, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 58 / 2019 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

हाउसिंग डवलपमेंट फाईनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच.डी.एफ.सी.) जिसका पंजीकृत कार्यालय रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग 169, बेकबे रिक्लेमेयशन चर्चगेट, मुम्बई 400020 जिसका शाखा कार्यालय एच डी एफ सी लिमिटेड सी–25 भगवन्त दास रोड़, सेन्ट जेवियर सकूल के सामने, सी–स्कीम जयपुर।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

1. राज करण जेडिया पुत्र मोहल लाल जेडिया, ऋणी / बंधककर्त्ता
पता पट्टा नम्बर 498, वार्ड नम्बर 39, हरिजन बस्ती, भगवती गैस एजेन्सी के पास, फतेहपुर रोड़, सीकर 332001।
दूसरा पता– 83, वार्ड नम्बर 17, वाल्मिकी बस्ती, सरदार शहर, जिला चुरू– 331403।
तीसरा पता– अध्यापक सरकारी उच्च प्राथमिक विधालय हालासर, तहसील सरदासषहर, जिला चुरू– 331411।

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 30 अक्टूबर, 2019

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **महेश शर्मा** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण **राज करण जेडिया** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **राज करण जेडिया पुत्र मोहन लाल जेडिया की सम्पति जो कि पट्टा नम्बर 498, वार्ड नम्बर 39 (पुराना) 4 (नया), दीन मोहम्मद रोड़, हरिजन बस्ती भगवती गैस एजेन्सी के पास, फतेहपुर रोड़, सीकर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं। जिसका माप लगभग 132.6 वर्गगज है तथा जिसके पूर्व में 24 फीट चौड़ी रोड़, पश्चिम में आम गली, उत्तर में रवि झाझतर का मकान, दक्षिण में प्रदीप धिकीया का मकान स्थित हैं,** को बंधक रखकर **18,00,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **अठारह लाख**) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner

दिनांक **27.02.2019** को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **27.02.2019** को रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है। वित्तीय संस्थान को भारत के राजपत्र दिनांक 05.08.2016 में सरफेसी अधिनियिम के उपखण्ड के प्रयोजन हेतु वित्तीय संस्थान निर्दिष्ट किया गया है।

5. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण **राज करण जेडिया** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **राज करण जेडिया पुत्र मोहन लाल जेडिया की सम्पति जो कि पट्टा नम्बर 498, वार्ड नम्बर 39 (पुराना) 4 (नया), दीन मोहम्मद रोड़, हरिजन बस्ती भगवती गैस एजेन्सी के पास, फतेहपुर रोड़, सीकर राजस्थान पर स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढ़ांचा आदि जो सभी सम्पति के अभिन्न अंग हैं। जिसका माप लगभग 132.6 वर्गगज है तथा जिसके पूर्व में 24 फीट चौड़ी रोड़, पश्चिम में आम गली, उत्तर में रवि झाझतर का मकान, दक्षिण में प्रदीप धिकीया का मकान स्थित हैं,** का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस इमदाद प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर, प्राप्त किये जाने के आदेश इस शर्त पर दिये जाते हैं कि प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो। उक्त आदेश की पालाना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांकः 30 **अक्टूबर, 2019** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/10/2019

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

(यज्ञ मित्र सिंहदेव)
जिला कलक्टर
सीकर (राज.)

Scanned by CamScanner